(वाद सं0–1122/4/4/2021)

18.04.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, सुजीत कुमार सिंह, के बाईक को बैंक के पार्किंग में गलत रूप से लगाने पर पुलिस द्वारा उक्त बाईक को जब्त करने के उपरान्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त App में उपरोक्त बाईक के स्वामित्व व अन्य कागजातों को प्रदर्शित किये जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा उसकी हार्ड कॉपी न दिखाये जाने पर बाईक को छोड़ने हेतु रिश्वत माँगने तथा तत्समय हार्ड कॉपी नहीं दिखाये जाने पर 3000/– (तीन हजार) रूपये आर्थिक दण्ड जमा करने पर उक्त बाईक को मुक्त किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय, से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय के प्रतिवेदनानुसार " आवेदक द्वारा एस0बी0आई0 शाखा बरौनी के गेट के सामने सड़क के किनारे अपना मोटरसाईकिल दिनांक–05.01.2021 को लगाया गया था, जिससे सड़क पर गाड़ियों के आने–जाने में अवरूद्ध पैदा हो रहा था। इस कारण फुलवड़िया थाना के पुलिस द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को सड़क के किनारे से फुलवड़िया थाना लाया गया, जहाँ पर मोटरसाईकिल लाकर थाना सुरक्षार्थ में रखने का उल्लेख थाना दैनिकी के सनहा संख्या–119, दिनांक–05.01.2021को किया गया है। थाना सुरक्षार्थ में लाये जाने के पश्चात् आवेदक अपनी गाड़ी लेने के लिए थाना पहुँचे, जहाँ पर आवेदक को गाड़ी के मूल कागजात दिखाने के लिए कहा गया। जिस पर आवेदक द्वारा मूल काजगात भी नहीं दिखाया गया और पुलिस के साथ अभद्रतापूर्वक पेश आये। थानाध्यक्ष फुलवड़िया के द्वारा आवेदक के गाड़ी के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगुसराय को प्रतिवेदन भेजी गयी थी। आवेदक के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगुसराय के पास पहुँचकर जुर्माना राशि जमा करने के पश्चात् प्राप्ति रसीद लेकर थाना

पहुँचे, जहाँ पर प्राप्ति रसीद के आधार पर आवेदक को गाड़ी को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया है। आवेदक के गाड़ी को आवेदक को सुपुर्द करने संबंधी प्रविष्टी फुलवड़िया थाना दैनिकी सनहा संख्या–208, दिनांक–08.01.2021 में अंकित है। चूकी आवेदक बिना कागजात दिखाये ही अपनी गाड़ी को लेकर थाना से जाना चाहते थे। जब उसकी मंशा पुरी नहीं हुई और जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय को भी प्रतिवेदन भेजी गयी थी, जहाँ पर आवेदक को जुर्माना की राशि भरना पड़ा। यह कार्रवाई आवेदक को नागवार लगा और आवेदक के द्वारा थानाध्यक्ष फुलवड़िया पर मनगढंत आरोप लगा कर आवेदन दिया गया है। आवेदन में लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है।"

पुलिस प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा परिवाद के उल्लेखित तथ्यों का पुनः समर्थन कर पुलिस प्रतिवेदन का परिवाद किया गया। परिवादी का कथन है कि पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजी लॉकर व परिवहन से संबंधित app में प्रदर्शित कागजातों को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण ही उसे गलत रूप से आर्थिक दण्ड का भुगतान करना पड़ा।

राज्य आयोग के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि परिवादी द्वारा घटना के समय में पुलिस को डिजी लॉकर व अन्य मान्यता प्राप्त app में संबंधित वाहन के स्वामित्व व अन्य कागजातों को दिखाया गया था अथवा नहीं। अतः उक्त तथ्य की सत्यता के संबंध में कोई भी विचार व्यक्त करना राज्य आयोग के लिए संभव नहीं है।

वैसे प्रसंगाधीन मामले में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय से अनुरोध है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ पदस्थापित पुलिस कर्मियों को इस संबंध में

आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जाय कि किसी भी वाहन के स्वामित्व अथवा अन्य कागजातों के संबंध में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त app पर दिखाये जाने पर उससे संतुष्ट होकर उसमें वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया जाये तथा अनावश्यक रूप से app में वर्णित विवरणों की हार्ड कॉपी के माँगे जाने से बचा जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की एक प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना व पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को भेजते हुए उसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक